न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
67/2005	01.06.2005	08.4.2026

नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र अमीरीलाल, ब्राह्मण निवासी महुकलॉं तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर जरिए मुख्यत्यार आम दिनेश चंद पुत्र श्री जौहरीलाल सर्राफ, खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. मनमोहन कौर बेबा भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
2. रणजीतसिंह पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
3. अनिल कुमार पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
4. विनोद कुमार पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी (मृतक)

4/1 लता मल्होत्रा पत्नी स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

4/2 गुन्जन पुत्री स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

4/3 हिमांशी पुत्री स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

4/4 साक्षी पुत्री स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

5. इन्द्रजीत पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
6. रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल, स्वर्णकार निवासी हीरालाल की मील, गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
8. मीरादेवी पत्नी संतोष कुमार खटाना, गुर्जर निवासी अनाज मंडी, गंगापुर सिटी
9. सबरजिस्ट्रार, गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उपस्थित :— श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी नरेन्द्र कुमार ने दिनेश चन्द पुत्र जौहरीलाल जाति खंडेलवाल निवासी गंगापुर सिटी को अपना मुख्त्यार आम नियुक्त किया हुआ है इसलिए यह दावा मुख्त्यार आम की हैसियत से पेश किया जा रहा है। ग्राम उदेईकलॉ में भूमि साबिक ख0न0 1769/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भगतसिंह पुत्र भगवानदास पंजाबी हिस्सा 1/2 व रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति स्वर्णकार हिस्सा बराबर 1/2 की खातेदारी की भूमि थी। जिसे उन्होने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.9.84 को वादी को विक्रय कर दिया तभी से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान भू–प्रबन्ध में वादी की क्रयशुदा भूमि के नवीन नम्बर 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0न0 5093 रकबा 51 एयर कायम किये गये हैं। भूमि साबिक ख0न0 1769/2 को भगतसिंह व रामजीलाल जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को दिनांक 12.9.84 को विक्रय कर चुके है तभी से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है लेकिन उस समय तहसील गंगापुर सिटी में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण वादी के हक में नामान्तकरण नही खोला जा सका इसलिए भूमि प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। भ–ूप्रबन्ध विभाग द्वारा हाल ख0न0 5093 व 5096 को तो मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 1769 से बनना दर्ज कर दिया लेकिन हाल ख0न0 5088/6372 को मिलान क्षेत्रफल मे गलत रूप से साबिक ख0न0 2500/2/23 से बनना दर्ज किया है जबकि यह खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 1769/2 का ही हिस्सा है। उक्त गलत इन्द्राज की वजह से ही उसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 5 इन्द्रजीत ने दौराने दावा वादग्रस्त भूमि ख0न0 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0न0 5093 रकबा 51 ऐयर मे से 1/10 हिस्सा बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी संख्या 8 मीरादेवी को दिनांक 25.4.2008 को विक्रय कर उसके हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। इस तरह दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के हक मे वादग्रस्त भूमि में से किया गया उक्त हस्तानान्तरण सम्पत्ति हस्तानान्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत अवैध व शून्य है एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.4.2008 निरस्त होने योग्य है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम उदेईकला में स्थित भूमि ख0न0 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0न0 5093

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रकबा 51 ऐयर ग्राम उदेईकलॉं को प्रतिवादीगण के नाम से हजफ फरमाया जाकर वादी के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 इन्द्रजीत द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 मीरादेवी के पक्ष मे दौराने दावा दिनांक 25.4.2008 को निष्पादित एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय मे पंजीकृत विक्रय पत्र को नल एंड बोईड घोषित किया जाकर वमुकाबले वादी निष्प्रभावी घोषित किया जावे एवं उसे निरस्त फरमाया जावे, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 को छोडकर अन्य प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। इसलिए इन अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि भूमि ख0न0 1769/2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम उदेईकला भगतसिंह उर्फ भगवानदास पंजाबी हिस्सा 1/2 व रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल स्वर्णकार हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज रही है। मृतक भगतसिंह द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि का कभी कोई बेचान दिनांक 12.9.84 या अन्य किसी भी दिन किसी को नही किया गया है एवं भगतसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में विधिवत विरासत का नामान्तकरण तस्दीक हुआ। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 5 इन्द्रजीत ने अपनी भूमि के 1/10 हिस्से को वैधानिक रूप से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.4.08 को बेचान किया है एवं तभी से प्रतिवादी संख्या 8 इस खरीदशुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि के नवीन ख0न0 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0न0 5093 रकबा 51 ऐयर कायम किये गये है। इनमे से प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना 1/10 हिस्सा मिन जबाबदार प्रतिवादी को विक्रय किया है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई—

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 1769/2 रकबा [illegible] बीघा 4 बिस्वा ग्राम उदेईकलां भगतसिंह पुत्र भगवानदास पंजाबी हिस्सा 1/2 रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल स्वर्णकार हिस्सा 1/2 की खातेदारी व [illegible] की काश्त की भूमि रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

है जिसे दिनांक 12.9.84 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र इन्होने वादी को बेचान कर दिया एवं भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। ——वादी

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान इस भूमि का नवीन ख0नं0 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0नं0 5093 रकबा 51 एयर कायम किया गया है। —वादी

3. आया वादी द्वारा भूमि खरीद के समय तहसील गंगापुर सिटी में भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा था इसलिए वादी के नाम भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका एवं भूमि प्रतिवादीगण के नाम ही चली आ रही थी। ——वादी

4. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख0नं0 5088/6372 को साबिक ख0नं0 2500/2/23 से बनना बताया है जो गलत है, वास्तव में यह नम्बर साबिक ख0नं0 1769/2 का ही हिस्सा है। ——वादी

5. आया भूमि गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी इन्द्रजीत ने दौराने दावा ख०नं० 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0नं0 5093 रकबा 51 एयर में से 1/10 हिस्सा विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी मीरा देवी को विक्रय कर दिनांक 25.4.08 को विक्रयपत्र रजिस्टर्ड करवा दिया, यह हस्तान्तरण टी०पी०एक्ट की धारा 52 के तहत अवैध एवं शून्य है तथा निरस्त होने योग्य है। ——वादी

6. आया वादी भूमि ख0नं0 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0नं0 5093 रकबा 51 एयर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से हजफ करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने, प्रतिवादी इन्द्रजीत द्वारा प्रतिवादी मीरा के पक्ष में किए गए विधि विरूद्ध बयनामे को नल एण्ड बोइड घोषित करवाने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ——वादी

7. आया वादग्रस्त भूमि भगतसिंह उर्फ भगवतसिंह व प्रतिवादी नं0 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। भगतसिंह की मृत्यु के बाद भूमि उसके जायज वारिस प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के पक्ष में दर्ज हुई है एवं इसके बाद प्रतिवादी इन्द्रजीत ने उसके 1/10 हिस्से को वैधानिक रूप से प्रतिवादी मीरा देवी को विक्रय किया है एवं इस विक्रय के दिन कोई स्थगनादेश प्रभावी नहीं था। वादी का दावा खारिज होने योग्य है। ——प्रतिवादी नं0 8

8. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने मुख्त्यारनामा आम बहक दिनेश चंद खंडेलवाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2057 से 2060 प्रदर्श–2, असल विक्रय पत्र दिनांक 12.9.1984 प्रदर्श–3, नकल नामान्तरकरण दि0 12.12.2003 प्रदर्श 4, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, मय मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी संवत 2025–28 प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

8, प्रदर्श 9, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 10, नकल जमाबंदी संवत 2057—60 प्रदर्श 11, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 26.4.2008 प्रदर्श—12, प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 26.4.2008 प्रदर्श—13 प्रस्तुत किये है एवं बयान मुख्त्यारआम दिनेशचन्द पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषक वादी सुनी गई।

वादी के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। असल विक्रय पत्र दिनांक 12.9.84 प्रदर्श 3 के अनुसार भूमि साबिक ख0न0 1769/2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम उदेईकलॉं भगतसिंह पुत्र भगवानदास पंजाबी एवं रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल स्वर्णकार द्वारा वादी नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री अमीरीलाल चतुर्वेदी को विक्रय की गई है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 के अनुसार इस साबिक खसरा नम्बर से भूमि ख०नं० 5088/6372 रकबा 20 एयर, ख0नं0 5093 रकबा 51 एयर बने है जो नकल जमाबंदी संवत 2057—60 प्रदर्श 2 के अनुसार भगवतसिंह पुत्र भगवानदास पंजाबी व रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल स्वर्णकार की खातेदारी मे दर्ज है। नकल नामान्तकरण दिनांक 12.12.2003 प्रदर्श 4 के अनुसार भगवतसिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हुआ है। नकल विक्रय पत्र दिनांक 25.4.2008 प्रदर्श 13 के अनुसार प्रतिवादी इन्द्रजीत ने अपने 1/10 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती मीरादेवी को विक्रय की है जो टी0पी0एक्ट की धारा 52 के अनुसार विधि विरूद्ध है एवं वादी के विरूद्ध निष्प्रभावी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का वर्ष 1984 में ही विधिक रूप से विक्रय हो चुका था एवं तहसील गंगापुर सिटी में भू—प्रबन्ध कार्य के चलते होने के कारण इस विक्रय का राजस्व अभिलेख में वादी के नाम नामान्तरकरण खुलकर अंकन नहीं हो सका है। इस प्रकार वादी उसके द्वारा क्रय की गई वादग्रस्त भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त करवाकर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 5088/6372 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 5093 रकबा 0.51 है0 ग्राम उदेईकलाँ का वादी नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री अमीरीलाल चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी महूकलाँ हाल निवासी जयपुर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर यह भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम खातेदारी में अंकित की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.5.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई (ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) **Judi/Civil Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र अमीरीलाल, ब्राह्मण निवासी महुकलॉ तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर जरिए मुख्यत्यार आम दिनेश चंद पुत्र श्री जौहरीलाल सर्राफ, खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. मनमोहन कौर बेबा भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
2. रणजीतसिंह पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
3. अनिल कुमार पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
4. विनोद कुमार पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी (मृतक)

4/1 लता मल्होत्रा पत्नी स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

4/2 गुन्जन पुत्री स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

4/3 हिमांशी पुत्री स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

4/4 साक्षी पुत्री स्व0 विनोद कुमार, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी हाल निवासी जयपुर

5. इन्द्रजीत पुत्र भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह, पंजाबी निवासी सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी
6. रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल, स्वर्णकार निवासी हीरालाल की मील, गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
8. मीरादेवी पत्नी संतोष कुमार खटाना, गुर्जर निवासी अनाज मंडी, गंगापुर सिटी
9. सबरजिस्ट्रार, गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

मुकदमा नं. —67 / 2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दिनेश डांस, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 5088 / 6372 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 5093 रकबा 0.51 है0 ग्राम उदेईकलां का वादी नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री अमीरीलाल चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी महूकलां हाल निवासी जयपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर यह भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम खातेदारी में अंकित की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.4.2026 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested